


पञ्जाबली पेशाद्वय वकील प्राणी उपलब्ध।

6
624

पञ्जाबली पेशाद्वय वकील प्राणी उपलब्ध, विपक्षी स. 1, 3 के सम्मन बाद वकील वेस्टपाफ इण्डिये 2007 को किये गये। विपक्षी स. 2 की कोर्ट ले अधिग्रहण की कोशिश में तेली अधिस्वला ने पेश कर निवेदन किया कि प्राणी की आयक्ति की पत्थरगरी किये जाने पर हमे कोई आपत्ति नहीं, विपक्षी स. 1 व 3 को किये की वार कक-कक आवाजे डिलाफी जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं, बनेके विकट एक तरफा कार्यवाही किये जाने की अधिस्य दिया जाता है वकील प्राणी का प्रा-पग स्नीकार किया जाकर निर्णय प्रणक से तिरवा जाकर 2007 किया गया। पञ्जाबली फैंसल शुमार ठेकर नम्बर से सम हो।

विपक्षी स. 2
कोर्ट नो. 04
Jm Law


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 32/24 प्राण.

1- श्री गोपाल सिंह 5/0 श्री गजसिंह राजपूत विवासी-रूपाहली शुद्ध तं मांडल

-प्राथी

बनाम

- 1- श्री 6/11/0 श्री अब्दुल बान्नार पायगवाणी निवासी- डाक्रीनगर तं मांडल
2. श्रीमती साधना पं० सुरेश गदादा नि० 8-N-11 आर.ए.सी. ल्हाय कालोनी भीलवाड़ा
3. रा० राण्य जरिए तहसीलदार सा० मांडल तहसील-माण्डल

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 06.06.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अलीनगर पटवार हल्का बैरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 2740, 2851 कुल किता 02 रकबा 2647 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयों के मध्य आराजी भुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26.2.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कसाने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम अलीनगर पटवार हल्का बैरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 2748/1114, 2851/1114 कुल किता 02 रकबा 2647 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारि किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बैरा को 700 रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खाड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कसाने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा